न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी— श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 —	तारीख दायर	तारीख फैसला
40 / 2017 / प्रार्थना पत्र	23.03.2017	06.04.2017

उनवान

प्रताप पिता उंकार चमार निवासी सरदारपुरा हाल गुढ़ा

— प्रार्थी

बनाम

1— मु0 छाउ बेवा बरदु गुर्जर निवासी सरदारपुरा तह0 फूलियाकलां
2— कल्याण पिता हीरा रेगर निवासी नई अरवड़ तह0 फूलियाकलां
3— श्रवण पिता मोती रेगर निवासी नई अरवड़ तह0 फूलियाकलां

— विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल0आर0एक्ट</u>

उपस्थित :— श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का अरवड़ पेटा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की आ0न0 320 रकबा 1.26 है0 विपक्षीगण नं0 1 लगायत 3 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 06.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सूचना व सम्मन तामील के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। दिनांक 06.04.2017 को अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जमाबन्दी ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का अरवड़ पेटा संवत 2073—76 मे स्थित आ0न0 320 रकबा 1.26 है0 का प्रार्थी के खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :—

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व खिखीगन के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सरदारपुरा पटवार हल्का अरवड़ पेटा तहसील फूलियाकलां मे स्थित आ0न0 320 रकबा 1.26 है0 की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 500/— (अक्षरे पॉच सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खोड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

प्रतिलिपि :— तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला—भीलवाड़ा